बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

—: आदेश:—

पटना, दिनांक—12/10/26

ई—कम्पलांयस डैशबोर्ड पोर्टल (संदर्भ सं0—TS 2026000071) के माध्यम से श्री विक्रम कुमार, ग्राम— राजगुरू तारापुर, पोस्ट+थाना— तारापुर, जिला—मुंगेर—813221 का परिवाद प्राप्त हुआ। जिसमें उर्मिला इन्टरनेशनल सर्विसेज प्रा0 लिमिटेड के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तारापुर, मुंगेर में कार्यालय परिचारी श्री विक्रम कुमार द्वारा श्री शशि कुमार मंडल, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तारापुर, मुंगेर के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि श्री मंडल द्वारा एक (01) लाख रूपये सेवा शुल्क मांगा गया, जुठा बर्तन धोने को कहा गया, गाड़ी धोने को कहा गया, शौचालय साफ करने को कहा गया, इलेक्ट्रीशियन वर्कशॉप का ढलाई तोड़ने को कहा गया एवं दिन—रात दोनों समय ड्यूटी करने को दबाव बनाया गया। इस संबंध में श्री कुमार द्वारा प्राचार्य श्री मंडल से अनुरोध किये कि वो महादलित है इन्हे परेशान नहीं किया जाय तब श्री मंडल द्वारा जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उन्हें गाली दिया गया एवं बोला गया कि बिना पैसा दिए तुम्हें यहां नहीं रहने देंगें।

2. श्री कुमार से प्राप्त परिवाद के आलोक में विभागीय पत्रांक—1099, दिनांक—25.08.2026 के द्वारा श्री शशि कुमार मंडल, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तारापुर, मुंगेर से प्रतिवेदन की मांग की गयी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तारापुर, मुंगेर के पत्रांक—362, दिनांक—27.08.2026 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें उल्लेखित है कि श्री कुमार द्वारा वर्ग एवं कर्मशाला में आकर अपने अधिकार के विपरीत भाषा का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तारापुर, मुंगेर के कार्यालय आदेश संख्या—334, दिनांक—01.11.2025 के द्वारा श्री कुमार को दरवानी कार्य (रात्रि प्रहरी) सम्पूर्ण संस्थान परिसर के सुरक्षा कार्य में लगाया गया था। किन्तु श्री कुमार अक्सर स्टाफ होस्टल में सो जाते थे एवं बिना अनुमति के अन्य कर्मी का कमरा खोलकर सो जाते थे किंतु साक्ष्य में सिर्फ एक दिन होस्टल में सोने की सूचना दी गयी है। कार्य में लापरवाही बरतने एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तारापुर, मुंगेर के कर्मियों से शिकायत प्राप्त होने के उपरांत पत्रांक—374, दिनांक—02.12.2025 के माध्यम से उर्मिला इन्टरनेशनल सर्विसेज प्रा0 लिमिटेड, पटना में उपस्थित होने के लिए वापस किया गया। प्राचार्य द्वारा बताया गया है कि श्रम अधीक्षक, मुंगेर के पत्रांक—915, दिनांक—16.05.2026 के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक—18.05.2026 को समर्पित आवेदन को स्वीकार किया गया एवं श्री कुमार वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तारापुर, मुंगेर में कार्यरत है।

3. श्री विक्रम कुमार से प्राप्त परिवाद एवं प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तारापुर, मुंगेर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक—1249, दिनांक—14.09.2026 द्वारा उक्त मामले की जांच उप निदेशक प्रशिक्षण, भागलपुर से कराई गयी। पत्रांक—1249, दिनांक—14.09.2026 के आलोक में उप निदेशक प्रशिक्षण, भागलपुर द्वारा पत्रांक—84, दिनांक—16.09.2026 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जांच समिति द्वारा निम्न अनुशंसा किया गया:—

(4)

शिकायतकर्त्ता के द्वारा लगाया गया आरोप यथा कार्यालय परिचारी के कार्य के इतर कार्य करने कहना, प्राचार्य के द्वारा जातिसूचक शब्द कहना, सेवा शुल्क की मांग करने से संबंधित साक्ष्य नहीं प्राप्त होने के कारण प्राचार्य को उक्त आरोपों से मुक्त किया जा सकता है।

4. श्री विक्रम कुमार से प्राप्त परिवाद, प्राचार्य से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री शशि कुमार मंडल, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तारापुर, मुंगेर के विरूद्ध श्री विक्रम कुमार द्वारा जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने, सेवा शुल्क की मांग करने, जुठा बर्तन धोने को कहने, गाड़ी धोने को कहने, शौचालय साफ करने एवं दिन–रात दोनों समय ड्यूटी करने को दबाव बनाये संबंधित लगाये गये आरोपों के साक्ष्य नही पाये गये। प्राचार्य द्वारा जांच समिति की प्रश्नावली के उत्तर मे बताया गया है कि कार्यालय परिचारी जून, 2023 से तथा प्राचार्य के जुलाई, 2025 कार्यकाल के पूर्व किसी शिकायत की जानकारी उन्हें नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री शशि कुमार मंडल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तारापुर, मुंगेर में जूलाई, 2025 में आने के पूर्व परिवादी के विरूद्ध अनुशासनहीनता या कोई शिकायत नहीं था। श्री मंडल के आने के उपरांत ही कार्यालय परिचारी के अनुशासहीनता की शिकायत आने लगी। एक रात्रि में सो जाने एवं वर्ग संचालन के दौरान बीच क्लास में खड़ा हो जाने के कारण श्री कुमार से उनके पक्ष प्राप्त किये बिना, कोई पर्याप्त कारण नही होने के बावजूद प्राचार्य द्वारा आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्यालय परिचारी की सेवा लौटा दिया जाना मानवीय गरिमा के विरूद्ध है एवं प्राचार्य के मनमाने ढंग से कार्य किए जाने का परिचायक है।

5. अतः श्री शशि कुमार मंडल, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तारापुर, मुंगेर को भविष्य के लिए सचेत रहकर कार्य करने का आदेश देते हुए मामलें को निष्पादित किया जाता है।

6. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
आशुतोष कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–09/युवा(आरोप)–29/2026–1466 पटना, दिनांक–12/10/2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण), बिहार, पटना/ श्री शशि कुमार मंडल, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तारापुर, मुंगेर/श्री विक्रम कुमार, कार्यालय परिचारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तारापुर, मुंगेर/आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आशुतोष
12-10-26
सरकार के संयुक्त सचिव।